राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :–एफ 1( )/एनएचएम/आरसीएच–।।/जेएसवाई/13–14/128 दिनांक :–22/11/13

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिले, राजस्थान।

विषय :– राज्य में जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आशा सहयोगिनियों को दिये जाने वाले परिलाभ के संबंध में।

संदर्भ :– दिनांक 17.09.2013 को जिला आशा समन्वयक की राज्य स्तर पर हुई बैठक में मिशन निदेशक महोदया द्वारा दिये गये निर्देशों के संबंध में।

राज्य में जेएसवाई के तहत प्रसूताओं एवं आशा–सहयोगिनियों दिये जाने वाले परिलाभ के संबंध में दिनांक 05.7.2013 को राज्य स्तर से दिशा–निर्देश जारी किये गये (संलग्न)। इस संबंध में दिनांक 17.9.2013 को जिला आशा समन्वयक की राज्य स्तर पर हुई बैठक में उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया गया था।

उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार गाईडलाईन के क्रम 3 की बिन्दु संख्या 1 में "जननी सुरक्षा योजना के तहत् ग्रामीण क्षेत्र के लिए आशा सहयोगिनी को कुल 600/– रूपये देय है जिनमें 300/– रूपये एएनसी एवं 300/– रूपये संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन के लिए देय है" का अर्थ है कि जननी सुरक्षा योजना के तहत् आशा सहयोगिनी (ग्रामीण क्षेत्र) को कुल 600/– रूपये देय है, जिनमें से 300/– रूपये एएनसी (तीन जाँच) एवं 300/– रूपये संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन के लिये है। संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन के लिये दिये जाने वाले 300/– रूपये के लिए आशा सहयोगिनी का प्रसूता के साथ जाना जरूरी नहीं है केवल संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन जरूरी है। कुल 600/– रूपये के अतिरिक्त आशा को जेएसवाई के तहत् अन्य कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं है।

बिन्दु संख्या 2 पर भी इसी तरह शहरी क्षेत्र की आशा को जननी सुरक्षा योजना के तहत् 400/– रूपये देय है जिनमें से 200/– रूपये एएनसी (तीन जाँच) एवं 200/– रूपये संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन के लिए देय है संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन के लिये दिये जाने वाले 200/– रूपये के लिए आशा सहयोगिनी का प्रसूता के साथ जाना जरूरी नहीं है केवल संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहन जरूरी है। कुल 400/– रूपये के अतिरिक्त जेएसवाई की मद में आशा को अन्य कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं है।

बिन्दु संख्या 3 में संस्थागत प्रसव के प्रमाण पत्र का अर्थ है प्रसूता का राजकीय संस्थान से डिस्चार्ज टिकट की छायाप्रति।

लेकिन राज्य स्तर पर प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट में यह पाया गया है कि आशा–सहयोगिनियों को जेएसवाई के तहत दिये जाने परिलाभ के मद में हुआ व्यय नगण्य है।

अतः उक्त दिशा–निर्देश पुनः संलग्न कर आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त जारी दिशा–निदेर्शो की पालना सुनिश्चित कर प्रगति रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

निदेशक (आर.सी.एच.)

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वा. एवं प.क. सेवाएं।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकि.स्वा. एवं प.क. एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम।
4. निदेशक वित्त, एनएचएम।
5. परियोजना निदेशक, एनएचएम।
6. परियोजना निदेशक, एम.एच.।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
8. संयुक्त निदेशक, समस्त जोन।
9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक समस्त।
10. जिला आशा समन्वयक।
11. सैन्टल सर्वर रूम, मुख्यालय।
12. कार्यालय प्रति।

निदेशक (आर.सी.एच.)

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– NRHM/RCH-II/RJSSY/2013/37 दिनांक :– 05/07/2013

समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज संलग्न चिकित्सालय
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

विषय : जननी सुरक्षा योजना के संबंध में दिशा निर्देश।

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में जननी सुरक्षा योजना के संबंध में पूर्व में जारी किये गये सभी दिशा निर्देशों के अतिक्रमण में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जा रहे है–

1. संस्थागत प्रसव पर प्रसूताओं को दिये जाने वाले परिलाभ के संबंध में
   - संस्थागत प्रसव (राजकीय एवं निजी अधिकृत चिकित्सा संस्थान में) होने पर ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400/– रुपये एवं शहरी क्षेत्र की प्रसूताओं को 1000/– रुपये प्रोत्साहन राशि Account Pay Cheque/Aadhar Based Cash Transfer (जिन जिलों में आधार के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दिया जाना लागू है) के द्वारा दिये जायेगें।
   - उक्त प्रोत्साहन राशि कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसूता को देय नहीं है।
   - आशा सहयोगिनी अपने क्षेत्र की बी.पी.एल. परिवार की सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसव से 8–12 सप्ताह पूर्व 500/– रुपये की राशि संबंधित प्रसाविका अथवा नजदीक के संस्था प्रभारी से चैक द्वारा दिलवाकर ए.एन.सी. कार्ड में इन्द्राज करवायेगी।
   - बी.पी.एल परिवार की प्रसूता के संस्थागत प्रसव होने पर यदि पूर्व में 500/– रूपये (8–12 सप्ताह पूर्व) की राशि दी गई है तो संस्थागत प्रसव के परिलाभ में से उक्त राशि कम करके दी जायेगी।
   - परिवहन के दौरान प्रसव होने पर प्रसूता को जेएसवाई के परिलाभ देय है।
   - प्रसूता से किसी भी तरह के प्रमाण पत्र/रेफरल पर्ची की मांग नहीं की जायेगी।

2. घरेलू प्रसव पर बी.पी.एल. प्रसूताओं को दिये जाने वाले परिलाभ के संबंध में
   - भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार (पत्र क्र. नं. जेड 14018/1/2012–जेएसवाई दिनांक 08/05/2013 संलग्न) सभी बी.पी.एल. प्रसूता को घरेलू प्रसव होने पर 500/– रूपये की राशि देय है।

3. आशा सहयोगिनी को दिये जाने वाले परिलाभ के संबंध में
   - जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लिए आशा सहयोगिनी को कुल 600/– रूपये देय है जिनमें 300/– रूपये ए.एन.सी एवं 300/– रूपये संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन के लिए देय है।
   - जननी सुरक्षा योजना के तहत शहरी क्षेत्र के लिए आशा सहयोगिनी को कुल 400/– रूपये देय है जिनमें से 200/– रूपये ए.एन.सी. एवं 200/– संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन के लिए देय है।
   - आशा सहयोगिनी द्वारा ए.एन.सी. का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ए.एन.सी. के निर्धारित प्रोत्साहन राशि संबंधित संस्था प्रभारी द्वारा देय है।
   - आशा सहयोगिनी द्वारा राजकीय संस्थान में संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर संस्थागत प्रसव की प्रोत्साहन राशि संबंधित क्षेत्र के संस्था प्रभारी द्वारा देय है।

4. प्रशासनिक मद के संबंध में

- राज्य में जेएसवाई के तहत कुल प्राप्त बजट का 5 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के लिए आंवटित होता है जिसमें से 1 प्रतिशत राज्य स्तर पर, 1 प्रतिशत जिला स्तर पर व 3 प्रतिशत संस्थान स्तर पर उपयोग में लिया जा सकता है।
- राज्य में जननी सुरक्षा योजना के तहत जिलों में आरसीएचओ नोडल अधिकारी के रूप में योजना की मोनिटरिंग एवं सुपरविजन का कार्य कर रहे है। अतः जिला स्तर पर कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु प्रशासनिक मद में बजट का उपयोग आरसीएचओ द्वारा किया जायेगा।
- उक्त बजट का उपयोग आरसीएचओ द्वारा जननी सुरक्षा योजना की मोनीटरिंग, प्रचार प्रसार एवं कार्यालय व्यय हेतु किया जायेगा।
- इस मद से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल पर कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाऐ ली जायेगी जो पीसीटीएस एवं आरजेएसएसवाई सॉफ्टवेयर में प्रसूताओं के संबंध में सभी आकड़ों (ANC, Aadhar Card number, Account number, delivery cases, MSLY, PNC and immunization etc.) को दर्ज करेगा एवं उच्च स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा।
- सफाईकर्मियों की कमी/अभाव के मध्यनजर उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसव केसेज हेतु सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम 100/– रूपये प्रति प्रसव व्यय किया जा सकता है।
- संस्थान स्तर पर योजना के संबंध में वॉल पेंटिंग, प्रसूताओं के फीडबेक फोरमेट छपवाने के लिए व सुझाव पेटी की स्थापना में भी इस मद से व्यय किया जा सकता है।
- उक्त बजट का उपयोग आरसीएचओ द्वारा जिले के संस्थानों पर योजना की गतिविधियों की मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन हेतु भ्रमण के लिए मोबेलिटी सपोर्ट में किया जा सकता है।

5. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सभी व्यय आर.सी.एच. Flexipool से किये जायेगें एवं पी.आई.पी. में निर्धारित बजट हैड में दर्ज किये जायेगें।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सभी चिकित्सा संस्थान, मेडिकल कॉलेज संलग्न अस्पतालों एवं आर.सी.एच.ओ. को आर.सी.एच. Flexipool से राशि उपलब्ध करायी जायेगी एवं जेएसवाई के संबंधित बजट मद में व्यय दर्ज किया जायेगा।

उक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायें।

शासन सचिव, चिकि.स्वा., स्वास्थ्य एवं पं.क,
मिशन निदेशक (एन.आर.एच.एम)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वा. एवं प.क. सेवाएं।
2. शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं मिशन निदेशक, एनआरएचएम।
3. परियोजना निदेशक, एम.एच.।
4. कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
5. जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी।
6. जिला कार्यक्रम प्रबंधक समस्त।
7. सर्वर प्रभारी रूम।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, चिकि.स्वा., स्वास्थ्य एवं पं.क,
मिशन निदेशक (एन.आर.एच.एम)